कार्यालय– जिला एंव सत्र न्यायाधीश,देवास म.प्र.

क्रमांक– 2672 /नजारत/2016 देवास,दिनांक–23-7-16

:: घोष विक्रय विज्ञप्ति ::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को इस घोष विक्रय विज्ञप्ति के जरिये सूचित किया जाता है कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास के निम्नांकित अनुपयोगी टाईपराईटर मशीनों को जहॉ पर जिस स्थिति में है घोष विक्रय (नीलामी) विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) /प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग,देवास के समक्ष दिनांक–**29.08.2016** मंगलवार को दोपहर 12.30 बजे किया जाना है।जिस किसी को उक्त घोष विक्रय में उपस्थित होना हो वह निम्नलिखित शर्तो के अधीन नीलामी में भाग ले सकता है :–

// **सम्पत्ति का विवरण** //

1–	टाईपराईटर मशीनें	21–नग	4,720/–कुल कीमत

–: शर्ते :–

1– नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदार को नीलामी से पूर्व 1000/–(अक्षरी– एक हजार रूपये) अमानत राशि के रूप में नकद जमा करना होंगे। नीलामी समाप्त होने के पश्चात सफल बोलीदार को छोड़कर शेष की जमा राशि वापस कर दी जाएगी।

2– अमानत राशि अग्रिम कार्यालय की नाजिर शाखा में दोपहर 12 बजे तक ही जमा की जाएगी।

3– टाईपराईटर मशीनों की नीलामी समाप्त होने पर बोले लगाने वाले व्यक्ति को बोली की आधि राशि तत्काल जमा करना होगी तथा नीलामी के अनुमोदन उपरांत एक सप्ताह के भीतर शेष राशि नजारत शाखा में जमा कर टाईपराईटर मशीनों को उठाना होगा। नियत समयावधि में राशि जमा नहीं करने की दशा में जमा की गई राशि राजसात कर ली जाएगी।

4– जिला एवं सत्र न्यायाधीश को किसी बोली अथवा सम्पूर्ण नीलामी को बिना कारण बताए रोकने का अधिकार होगा।

5– घोष विक्रय के सम्बन्ध में किसी भी बिन्दु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास का होगा जो सर्वमान्य होगा।

6– बोली स्वीकृत होने के पश्चात उक्त सम्बन्ध में उठायी गयी आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।

7– खरीददार स्वयं अपने व्यय पर टाईपराईटर मशीनों को उठायेगा, इस हेतु कार्यालय द्वारा कोई व्यय वहन नहीं किया जायेगा।

8– उपरोक्त टाईपराईटर मशीनों को जिला एवं सत्र न्यायालय भवनपरिसर, देवास में रखा हुआ है, क्रेता नीलामी के पूर्व कार्यालयीन समय में कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं और उनके विस्तृत विवरण प्राप्त कर सकते है।

जिला एंव सत्र न्यायाधीश
देवास(म0प्र0)